

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ01533 दिनांक-14.9.2006 के निर्देशों के अनुपालन में मेसर्स बजाज पावर जेनरेशन प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित 3X800 मेगावाट क्षमता के कोयले पर आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु ग्राम बरगढ, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट में स्थापित किये जाने से पूर्व पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी दिनांक 23.08.2011 को आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवृत्त :-

मेसर्स बजाज पावर जेनरेशन प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम- बरगढ, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट में 3X800 मेगावाट कोयले पर आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुपालन में लोकसुनवाई आयोजित करने हेतु जिलाधिकारी चित्रकूट के समक्ष स्थान एवं दिनांक नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में लोकसुनवाई आयोजित करने हेतु प्रस्तावित स्थल के समीप राजकीय इण्टर कॉलेज, बरगढ में दिनांक-23.08.2011 को दोपहर 12.00 बजे से प्रारम्भ करने हेतु नियत किया गया। उक्त अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" एवं अंग्रेजी संस्करण "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक-20.7.2011 को सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। आज दिनांक-23.08.2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी लोकसुनवाई ग्राम- बरगढ के समीप राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रांगण में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित प्रमुख रूप से उपस्थित थे:-

1. श्री दलीप कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी, चित्रकूट।
2. श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय, डिप्टी कलैक्टर/एस0डी0एम0, मऊ, चित्रकूट।
3. श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
4. डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, झांसी।
5. इं0 श्याम सुन्दर, परामर्शी, विम्टा लैब्स लि0, हैदराबाद।





5. डॉ० श्याम सुन्दर, परामर्शी, विन्टा लैब्स लि०, हैदराबाद।
6. डा० ए० वी० सिंह, बजाज हिन्दुस्तान लि० नोएडा।
7. श्री सु० रॉय, बजाज हिन्दुस्तान लि० लखनऊ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उपस्थित प्रतिनिधियों/ग्रामवासियों की सूची उपस्थिति पंजिका में उल्लिखित है (छायाप्रति संलग्न)।

सर्वप्रथम उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट से सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष परियोजना से सम्बंधित मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया गया कि उक्त प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण के प्रमुख घटकों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के सम्बन्ध में यदि आपके पास कोई भी सुझाव, शिकायत, टीका-टिप्पणी यदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आज के पूर्व किसी भी नागरिक/संस्था द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी लिखित सुझाव/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तत्पश्चात् डा० ए० वी० सिंह, प्रेसिडेंट (पर्यावरण) मे० बजाज पावर जनरेशन प्रा० लि० द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया। परियोजना से सम्बंधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पादित करने वाली संस्था मे० विन्टा लैब्स लि० हैदराबाद, के उपस्थित परामर्शी डॉ० श्याम सुन्दर, (वी०पी०) द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में प्रमुख बिन्दुओं पर एवं परियोजना से पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत विलेख प्रस्तुत किया गया।

उपस्थित परामर्शी द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से उक्त परियोजना से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया तथा माह मार्च 2011 से मई 2011 के मध्य कृत पर्यावरणीय घटकों की अद्यतन जल, वायु एवं ध्वनि प्रचालकों का विवरण तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया एवम् तथ्यों की विस्तृत विवेचना की गयी। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना की स्थापना हेतु 1850 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें से 415 एकड़ भूमि





प्लाण्ट एवं मशीनरी की स्थापना हेतु, 225 एकड ऐश पोंड हेतु, 334 एकड रॉ वाटर रिजरवॉयर हेतु, 555 एकड हरित पट्टिका के विकास हेतु, 186 एकड वाटर कॉरीडोर हेतु एवं 135 एकड टाउनशिप के विकास हेतु उपयोग किया जायेगा। परामर्शी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि उक्त परियोजना की स्थापना के पश्चात् संचालन से जनित जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु परियोजना में कोयले पर आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लाण्ट स्थापित किया जायेगा। ईंधन के रूप में 9.51 मिलियन टन प्रतिवर्ष भारतीय कोयला अथवा 8.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष आयातित कोयला अथवा दोनों किस्मों से ब्लेंडेड कोयले का उपयोग प्रस्तावित है। भारतीय कोयला में कोल इण्डिया सब्सिडियरी/नार्दर्न कोलफील्ड की कोल माइन्स से एवम् आयातित कोयला इण्डोनेसिया से प्राप्त किया जायेगा। विभिन्न प्रयोजनों हेतु लगभग 8050 किलोलीटर प्रतिघंटा की दर से जल की आवश्यकता होगी, जिसे यमुना नदी से प्राप्त किया जाएगा जोकि परियोजना स्थल से लगभग 12-15 कि०मी० की दूरी पर है। कोयले से जनित फ्लू गैस के उत्सर्जन हेतु 275 मीटर उँची एक चिमनी का निर्माण किया जायेगा जिससे तीनों ब्यॉलर से जनित फ्ल्यू गैसों का उत्सर्जन किया जाएगा। उक्त उत्सर्जन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च क्षमता के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की स्थापना की जायेगी ताकि उत्सर्जन में विभिन्न प्रचालकों की मात्रा सदैव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुरूप रहे।

ईंधन से जनित फ्लाइं ऐश का शत-प्रतिशत उपयोग हेतु सीमेण्ट बनाने वाली कम्पनियों से अनुबन्ध किया जाएगा।

प्रस्तावित परियोजना से जनित ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु शोर करने वाली मशीनों में एकोस्टिक इन्क्लोजर की स्थापना तथा कर्मचारियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेण्ट्स दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शोर से कर्मचारियों तथा आस-पास के निवासियों पर कुप्रभाव न पड़े।

परियोजना से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त यूज्ड ऑयल को पुनः चक्रीकरण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था को पुनः चक्रीकरण हेतु अनुबन्ध किया जाएगा।

२२

५

जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह के अन्तिम निस्तारण से पूर्व शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का पुनःचकीकरण किया जायेगा, जिससे कि कोई भी भूमिद्विकृत उत्प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल श्रोत को संक्रमित न कर सके। उक्त परियोजना में कर्मचारियों/अधिकारियों के निवास हेतु प्रस्तावित कालोनी से जनित प्रदूषित घरेलू उत्प्रवाह के भूमिद्विकरण हेतु उचित क्षमता एवं डिजायन के मलजल उत्प्रवाह भूमिद्विकरण संयंत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है तथा भूमिद्विकृत घरेलू उत्प्रवाह को गार्डनिंग में प्रयोग किया जायेगा।

उक्त परियोजना के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचना के पश्चात् डा० टी० एन० सिंह, सहा० वैज्ञा० अधि०, उ०प्र०प्र०नि०बोर्ड, झांसी द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में भूगर्भीय सर्वेक्षण को सम्मिलित करने एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना में जल, वायु अधिनियमों के अन्तर्गत प्राविधानों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित करने एवं लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989, पर्यावरणीय राहत कोष स्थापित करने, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1998, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001, ध्वनि प्रदूषण (नियमावली एवं निवारण) नियम 2000 एवं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से सम्बन्धित अधिसूचना के प्राविधानों को यथासम्भव समाहित करने हेतु आवश्यक सुझाव/निर्देश दिये गये। परियोजना से सम्बन्धित अधिकारी एवम परामर्शी द्वारा उपरोक्त सुझावों को अन्तिम पर्यावरण प्रबन्धन योजना में समावेशित करने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

1. श्री अमित कुमार, ग्राम बरगढ द्वारा पूछा गया कि परियोजना में आच्छादित होने वाले भूमि के स्वामियों को भूमि के बदले क्या रोजगार की गारण्टी दी जायेगी?

उक्त के सम्बन्ध में डा० ए०वी० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना में योग्यता के अनुरूप उचित प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने हेतु योग्य बनाया जाएगा।

4

2. श्री मूलचंद तिवारी, ग्राम बरगढ द्वारा पूछा गया कि क्या उक्त परियोजना इको फ्रेंडली होगी?

उक्त के सम्बन्ध में डा० ए० वी० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना पूर्णतया: इको फ्रेंडली होगी जिससे पर्यावरणीय घटकों पर प्रभाव की आशंका नहीं है।

3. जिलाधिकारी द्वारा पूछा गया कि कम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स उत्सर्जित करने वाले बर्नर के सम्बन्ध में स्पष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में डा० ए० वी० सिंह द्वारा बताया गया कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में कम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स उत्सर्जन करने वाले बर्नर प्रस्तावित किये गये हैं ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हों।

4. श्री बालेन्द्र शेखर द्विवेदी, बरगढ द्वारा भूगर्भ में सम्भावित खनिजों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई तथा अवगत कराया गया कि समाचार पत्रों में बरगढ एंवम् आस पास के क्षेत्रों में कोयला, पेट्रोलियम एंवम् अन्य बहुमूल्य धातुएं पाये जाने की सम्भावना पूर्व में किये गये सर्वेक्षणों में पायी गई है। क्या आप द्वारा कोई सर्वेक्षण इस सम्बन्ध में कराया गया है?

उक्त के सम्बन्ध में डा० ए० वी० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि सदरभित क्षेत्र में सिलका सैंड होना अवगत है क्योंकि उ०प्र० सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र औद्योगिक विकास हेतु चिन्हित किया गया है। डा० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि यदि उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो सर्वेक्षण करने वाली संस्था से आवश्यक टिप्स प्राप्त कर नवीन सर्वेक्षण कराकर उक्त का सत्यापन करा लिया जाएगा।

अग्रेतर श्री द्विवेदी द्वारा पूछा गया कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त कोयले से कौन से सहउत्पाद जनित होंगे तथा उसका क्या उपयोग किया जायेगा?

परियोजना के परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयुक्त कोयला का लगभग 40 प्रतिशत भाग ऐश के रूप में, 12 प्रतिशत आर्द्रता के रूप में तथा 30 प्रतिशत फिक्स्ड कार्बन के रूप में एवम् अवशेष भाग वोलाटाईल्स मैटर के रूप में होता है जिसमें से जनित ऐश के समुचित निस्तारण का प्राविधान सुनिश्चित किया जाएगा। फिक्स्ड कार्बन एनर्जी के रूप में परिवर्तित होगी तथा उत्पन्न कार्बनडाईऑक्साइड

PP⁵

J

275 मी० चिमनी से उत्सर्जित हो जाएगी। कोयले से जनित उर्जा का शत-प्रतिशत उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाएगा।

5. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रबन्धन योजना में रेन वाटर हारवेस्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है। क्या अन्तिम प्रबंधन परियोजना में उक्त प्रस्ताव समावेशित किया जायेगा?

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यदि उक्त प्रस्ताव प्रबन्धन योजना में परामर्शी द्वारा समावेशित नहीं किया गया है तो संदर्भित प्रस्ताव को अन्तिम प्रबन्धन योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

6. श्री गुलाब सिंह पटेल, ग्राम बरगढ द्वारा पूछा गया कि कोयले के जलने से आम एवं अन्य फलदार वृक्षों पर पडने वाले कुप्रभावों के निराकरण हेतु कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं?

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डा० टी०एन० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि चित्रकूट जनपद में कोई भी उद्योग कोयला इंधन के रूप में उपयोग नहीं करता है। प्रस्तावित परियोजना में कोयले से जनित सल्फर डाई ऑक्साइड गैस के डिस्पर्सल हेतु भारत सरकार के नियमान्तर्गत 275 मी० उंची चिमनी तथा धूल कण के नियंत्रण हेतु 99.9 प्रतिशत दक्षता वाले ई०एस०पी० की स्थापना प्रस्तावित है।

7. जिलाधिकारी द्वारा पूछा गया कि प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत प्रस्तावित ई०टी०पी०/एस०टी०पी० से जनित स्लज का क्या उपयोग किया जाएगा?

उक्त के सम्बन्ध में डा० ए० वी० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनित स्लज के कम्पोस्टिंग के पश्चात् कार्बनिक खाद परिसर के बागवानी हेतु तथा सूखे क्षेत्रों में किसानों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

तहसील मऊ के उपजिलाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय द्वारा परियोजना के लाभकारी पहलुओं से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के स्थापना से आस पास के ग्रामिणों को रोजगार के अवसर सृजित होने के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया गया तथा उक्त प्रस्ताव पर उपजिलाधिकारी एंवम् उपस्थित जनसमुदाय द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।


6
②

Ch

उपरोक्त लोकसुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय द्वारा पूछे गये प्रश्नों/ शंकाओं/शिकायतों के सम्बन्ध में परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों एवं प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में प्रस्तावित संयंत्रों तथा प्रस्तावित परियोजना के आसपास स्थित ग्रामों के पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों से आमजन काफी संतुष्ट थे, तथा उनके द्वारा उद्गार व्यक्त किये गए कि उक्त परियोजना के स्थापित होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा जो राज्य/राष्ट्रहित में होगा।

लोक सुनवाई के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय ने ग्रामिणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों, सुझावों एवं शंकाओं को प्रस्तावित परियोजना में समावेशित करने एवम् तत्पश्चात् उक्त सुझावों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु उद्योग प्रतिनिधि को आवश्यक निर्देश/सुझाव दिया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया कि उक्त सुझावों/निर्देशों एवम् लोकसुनवाई में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुरूप व्यवस्था स्थापित करने की शर्तों के साथ परियोजना के स्थापना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक संस्तुति के साथ लोक सुनवाई के कार्यवृत्त को प्रेषित करने हेतु आश्वासन दिया गया जिससे कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त सुझावों को मूल्यांकन के पश्चात् प्रस्तावित योजना में समावेशित करते हुए परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत कर सके तथा तदनु रूप उद्योग की स्थापना की जा सके।


अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा किये गये घोषणा से उपस्थित जनसमुदाय द्वारा करतल ध्वनि से हर्ष व्यक्त किया गया तथा लोकसुनवाई के समापन की घोषणा की गई।



(राम गोपाल)

क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र०प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी



(दलीप कुमार गुप्ता)

जिलाधिकारी, चित्रकूट

(~~डॉ.~~ के० गुप्ता)

जिला मजिस्ट्रेट

चित्रकूट